राष्ट्रपति पुतिन का मोदी को रूस आने का न्यौता, कहा- दुनिया में उथल-पुथल के बीच रूस-भारत के बीच मजबूत होंगे रिश्ते

मॉस्को।
रूस की पांच दिनों की यात्रा पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने गर्मजोशी के साथ जयशंकर से मुलाकात की और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस आने का न्यौता दिया। इस दौरान पुतिन ने कहा कि अगला साल चुनाव के लिहाज से भारत के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। चुनाव के लिए उन्होंने मोदी को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि चुनावी जीत किसी की भी हो, भारत-रूस के रिश्ते मजबूत और स्थिर बने रहेंगे।

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी- 'आज शाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दीं और एक निजी संदेश सौंपा। राष्ट्रपति पुतिन को उपराष्ट्रपति डेनिस मंतुरोव और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई अपनी चर्चाओं से अवगत कराया। दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने के उनके मार्गदर्शन की सराहना की।'

इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण तरीके से रूस-यूक्रेन विवाद को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई मौकों पर इसका बार-बार उल्लेख किया। उन्होंने भारत-रूस संबंधों पर बात करते हुए कहा कि हम उर्जा से लेकर प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों में एक साथ हैं। हम पेट्रोल के साथ-साथ उच्च तकनीकी क्षेत्र में भी साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में काफी उथल-पुथल के बावजूद रूस और भारत के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने भारतीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकास कर रहा है।

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री ने रूस के विदेश मंत्री मर्गेई लावरोव से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक में लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत ने जी 20 की अध्यक्षता कर अपनी विदेश नीति की ताकत को साबित कर दिया।

न्यूज ब्रीफ

सड़क हादसे में भारतीय मूल के व्यक्ति की मौत पर चालक को जेल, आठ साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

सिंगापुर। एक रिपोर्ट के मुताबिक, मलय मूल के आरोपी मुहम्मद हेयरुलजात सलेह को खराब ड्राइविंग रिकॉर्ड के चलते एक व्यक्ति की मौत का दोषी ठहराया गया है। बता दें 2021 में 57 वर्षीय भारतीय मूल के सत्यदेव रामानुज की मौत हो गई थी। जेल की सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि जेल से रिहा होने पर आठ साल के लिए सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने या लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मामले में उप लोक अभियोजक पवित्रा रामकुमार ने कहा कि सलेह के पिछले अपराधों में लापरवाही से गाड़ी चलाना, चोट पहुंचाना, सड़क से जुड़े कानूनों को नजरअंदाज करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना शामिल हैं। अभियोजक ने कहा कि 13 मार्च, 2021 को हुए हादसे के वक्त सलेह को बस सेवा देने वाली कंपनी ऑरोरा वर्ल्ड में नियुक्त किया गया था।

एक और जंग की आहट! फिर सनका तानाशाह किम जोंग का सेना को तैयार रहने का आदेश

प्योंगयांग। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी सेना को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। उन ने सेना, हथियार बनाने वाली कंपनियों और परमाणु हथियारों वाले विभागों को आदेश दिया है कि वो जंग की तैयारियों को तेज कर दें। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में नए साल के लिए नीति-निर्देशों पर बोलते हुए किम ने युद्ध की तैयारियों को तेज करने के लिए पीपुल्स आर्मी और युद्ध सामग्री उद्योग, परमाणु हथियार और नागरिक सुरक्षा क्षेत्रों के लिए कार्य निर्धारित किए। बैठक के दौरान किम ने कहा कि उत्तर कोरिया 'साम्राज्यवाद विरोधी स्वतंत्र' देशों के साथ रणनीतिक सहयोग का विस्तार करेगा। हालांकि, राज्य समाचार एजेंसी द्वारा तैयारियों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने बैठक के दौरान नए साल के लिए आर्थिक लक्ष्य भी रखे और इसे देश की पांच साल की विकास योजना को पूरा करने के लिए निर्णायक वर्ष बताया। उन्होंने नए साल के लिए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को गतिशील रूप से आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को स्पष्ट किया और कृषि उत्पादन को उच्च स्तर पर स्थिर करने का आह्वान किया। यह पहली बार नहीं जब किम ने युद्ध के लिए अपनी सेना को तैयार रहने को कहा हो। इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुए साझा युद्ध अभ्यास पर भी वह बौखला गए थे। बता दें, उत्तर कोरिया रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़ा रहा है क्योंकि अमेरिका ने प्योंगयांग पर रूस को यूक्रेन युद्ध के दौरान सैन्य उपकरण आपूर्ति का आरोप लगाया है।

भारत ने पाकिस्तान से की हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी

इस्लामाबाद। भारत ने पाकिस्तान से लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और खूंखार आतंकी हाफिज सईदी को सौंपने की मांग की है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत ने हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से औपचारिक मांग की है। बता दें कि हाफिज सईद पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय से हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अपील की है। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बता दें कि हाफिज सईद एक पाकिस्तानी आतंकी और आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का संस्थापक है और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में हाफिज सईद शामिल रहा है। भारत में वह मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद ही है। कुछ साल पहले तक हाफिज सईद पाकिस्तान में खुला घूम रहा था और अपने संगठन के लिए चंदा जुटा रहा था लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ने के बाद साल 2019 में हाफिज सईद को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया और आतंक के वित्त पोषण के आरोप में उसे 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। बीते साल भी पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को आतंकी घटनाओं के लिए पैसे जुटाने के आरोप में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। अमेरिका ने भी हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया हुआ है और उस पर एक करोड़ डॉलर का इनाम घोषित किया हुआ है।

भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को मिली बड़ी राहत

कतर में पूर्व नौसैनिकों मौत की सजा पर 63 दिन बाद लगी रोक

कतर।
कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा को रोक दिया गया है।

बता दें जासूसी के एक कथित मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने अक्तूबर में मौत की सजा दी थी। दोहा स्थित दहरा ग्लोबल के सभी कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों को अगस्त 2022 में हिरासत में ले लिया गया था। भारत ने पिछले महीने मौत की सजा के खिलाफ कतर स्थित अपीली अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

किस मामले में पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी?

26 अक्तूबर को कतर की राजधानी दोहा में अल दहरा कंपनी के आठ सेवानिवृत्त भारतीय कर्मचारियों को मौत की सजा सुनाई गई थी। यह फैसला कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा सुनाया गया था। इन सभी पर पनडुब्बी कार्यक्रम पर कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया गया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सेवानिवृत होने के बाद ये सभी नौसैनिक कतर की निजी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एवं कंसल्टेंसीज सर्विसेज में काम कर

रहे थे। यह कंपनी कतरी एमिरी नौसेना को ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी खुद को कतर रक्षा, सुरक्षा एवं अन्य सरकारी एजेंसी की स्थानीय भागीदार बताती है।

यह मामला कितना पुराना है, अब तक क्या-क्या हुआ?

- **अगस्त 2022:** मामला पहली बार 30 अगस्त को सामने आया जब कतर की खुफिया एजेंसी 'राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो' ने आठ पूर्व नौसेना अधिकारियों को गिरफ्तार किया। उन्हें बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और एकांत कारावास में भेज दिया गया था। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया था।
- **सितंबर 2022:** जेल में बंद अधिकारियों की ओर से पहली बार जमानत याचिका दाखिल की गई जिसे खारिज कर दिया गया।
- **अक्तूबर 2022:** पूर्णेंदु तिवारी की बहन डॉ. मीतू भार्गव द्वारा 27 अक्तूबर को किए गए एक ट्वीट से घटना सार्वजनिक हुई। इस पोस्ट में नीतू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्रालय और अन्य कैबिनेट मंत्रियों से मदद मांगी थी।
- **नवंबर 2022:** आठ पूर्व अधिकारियों के परिवारों वालों ने दोहा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद भारतीय दूतावास ने कहा था कि वे कतर में भारतीय नागरिकों के किसी भी जरूरी कांसुलर मुद्दे या शिकायतों का निवारण करने के लिए तैयार हैं।
- **जनवरी 2023:** कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने आठ पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों से मुलाकात की थी।
- **मार्च 2023:** भारतीय नौसेना के आठ पूर्व सैनिकों के खिलाफ 25 मार्च को आरोप दर्ज किए गए थे। इसी बीच पहली सुनवाई हुई, जिसमें मामले के लिए नियुक्त बचाव पक्ष के वकील भी शामिल हुए।
- **जून 2023:** मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई।
- **1 अक्तूबर 2023:** इस साल 1 अक्तूबर को कतर में राजदूत दीपक मित्तल ने जेल में बंद लोगों से मुलाकात की। मित्तल ने यह मुलाकात काउंसलर पहुंच मिलने के बाद की थी।
- **26 अक्तूबर 2023:** कतर के कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस द्वारा सभी आठ पूर्व नौसैनिकों को सजा की मौत सुनाई।
- **23 नवंबर 2023:** कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना कर्मियों को दी गई मौत की सजा के संबंध में भारत सरकार द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
- **28 दिसंबर 2023:** भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा रोकी गई।

अब आगे क्या होगा?

भारतीय विदेश मंत्रालय ने निर्णय के बाद कहा, 'मामले की शुरुआत से ही हम उनके साथ खड़े हैं। हम सभी उन्हें कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। इस मामले को कतर के अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।' मंत्रालय ने कहा कि अभी विस्तृत फैसले का इंतजार है। अगले कदम पर फैसला लेने के लिए कानूनी टीम के साथ हम लगातार परिवार के सदस्यों के साथ संपर्क में हैं।

तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगन ने नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की

अंकार।
इजराइल-हमास के बीच जारी युद्ध और विनाशकारी इजराइली मिसाइलों से आहत तुर्किए के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने बुधवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की।

तैयब एर्दोगन ने गाजा पर इजरायल के हमलों की तुलना नाजियों द्वारा यहूदी लोगों के साथ किए गए दुर्व्यवहार से की। उन्होंने कहा कि इजरायल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देश युद्ध अपराधों में शामिल थे। नाटो सदस्य तुर्किए ने गाजा पर इजरायल के हवाई और जमीनी हमले की कड़ी आलोचना की और इसे आतंकवादी राज्य करार दिया। साथ ही तुर्किए ने कहा कि इजरायल के नेताओं पर अंतरराष्ट्रीय अदालतों में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एर्दोगन ने कहा कि आप में और हिटलर में क्या अंतर है? वें हमें हिटलर की याद दिलाने जा रहे हैं। क्या नेतन्याहू ने जो किया, वह हिटलर ने जो किया था उससे कम है या नहीं?

उन्होंने कहा कि वह हिटलर से भी अधिक अमीर है, उसे पश्चिम से समर्थन मिलता है। अमेरिका से तो हर तरह का समर्थन मिलता है और उन्होंने इन तमाम समर्थनों के साथ क्या किया, उन्होंने 20,000 से अधिक फिलिस्तीनियों को मार डाला।

उधर, तैयब एर्दोगन के बयान पर पलटवार करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि कुर्दों के खिलाफ नरसंहार में शामिल तैयब एर्दोगन के पास सरकार का विरोध करने वाले पत्रकारों को जेल में डालने का विश्व रिकॉर्ड है, वह आखिरी व्यक्ति हैं, जो हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया किन मुद्दों पर हुई बातचीत-भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर साझा किए पोस्ट में लिखा कि 'राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर वह सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से एक निजी संदेश राष्ट्रपति पुतिन को सौंपा।' साथ ही उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर काफी बातचीत हुई।

फ्रांस में रोके गए 25 भारतीयों यात्रियों को किया गया मुक्त

पेरिस।
फ्रांस में रोके गए विमान के 25 भारतीय यात्रियों को मुक्त कर दिया गया है। ये यात्री शरण के लिए फ्रांस में रूक गए थे। फ्रांसिसी मीडिया ने यह जानकारी दी है।

पेरिस के पास चालोंस-वाट्री हवाई अड्डे पर चार दिन रुकने के बाद ये 25 यात्री उस उड़ान में शामिल नहीं थे, जो सोमवार दोपहर को मुंबई के लिए रवाना हुआ था। फ्रांस से भारत रवाना हुई उड़ान के 276 यात्रियों में से अधिकतर भारतीय थे। अभियोजकों के हवाले से कहा गया कि स्थानीय न्यायाधीश ने इस आधार पर ''औपचारिक'' रूप से उन्हें मुक्त करने आदेश दिया कि फ्रांस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर सीमा पुलिस के प्रमुख ने कानून द्वारा निर्धारित समय-सीमा में मामले को उनके पास नहीं भेजा था। फ्रांस में राजनीतिक आधार पर शरण के लिए आवेदन करने वाले 25 यात्रियों को मंगलवार को कथित तौर पर मुक्त कर दिया गया और उनमें से पांच को नाबालिग होने के कारण बाल कल्याण सेवा केंद्र में रखा गया।

ये 25 लोग उन करीब 300 यात्रियों में से थे जो पिछले सप्ताह दुबई में रोमानियाई कंपनी लीजेंड एयरलाइंस द्वारा संचालित विमान में सवार हुए थे। वे निकारागुआ जाने वाले थे, लेकिन 21 दिसंबर को पूर्वोत्तर फ्रांस के वेट्री हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के दौरान गुप्त सूचना के बाद विमान को चार दिनों के लिए रोक दिया गया। फ्रांस में रुके लोगों में से दो लोगों से पुलिस ने संदिग्ध लोगों की तस्करी के संबंध में पूछताछ की। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दो लोगों के खिलाफ मानव तस्करी का आरोप हटा दिया गया क्योंकि यह स्थापित हो गया था कि यात्री अपनी मर्जी से विमान में सवार हुए थे।

'बातचीत की आड़ में कबायली इलाकों पर कब्जे की फिराक में था अफगान', पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारी का दावा

इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के एक शीर्ष अधिकारी ने अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के उन दावों का जोरदार खंडन किया है, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान अंतिम समय में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ समझौते से पीछे हट गया। साथ ही दावा किया कि आतंकवादी संगठन की अनुचित और असंवैधानिक मांगों के कारण वार्ता असफल हुई थी।

एक रिपोर्ट में खुलासा-एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अधिकारी ने कहा कि बातचीत की आड़ में प्रतिबंधित टीटीपी आतंकवादी समूह अफगान तालिबान के मौन समर्थन के साथ पूर्व जनजातीय क्षेत्रों के भीतर अपना साम्राज्य स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा था।

पिछले हफ्ते हुई थी बातचीत-पिछले हफ्ते तेहरान में फलस्तीन सम्मेलन में अफगान अंतरिम विदेश मंत्री मुत्ताकी और पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद के बीच एक अनौपचारिक आदान-प्रदान के दौरान, तालिबान नेता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान और टीटीपी के बीच अधिकांश मुद्दों को 2022 में हल कर लिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि विवाद का एकमात्र मुद्दा पूर्व संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (एफएटीए) के विलय के बारे में था।

अफगान राजनयिक की बात में सच्चाई की कमी-मुत्ताकी के अनुसार, पाकिस्तान तब पीछे हट गया जब दोनों पक्ष एक समझौते को अंतिम रूप देने के कगार पर थे। हालांकि, इस मामले से परिचित इस शीर्ष रैंकिंग पाकिस्तानी अधिकारी ने मुत्ताकी के बयान को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि अफगान राजनयिक की बात में सच्चाई की कमी है।

अधिकारी ने इस विषय की संवेदनशीलता के कारण नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि टीटीपी की अनुचित और असंवैधानिक मांगों के कारण बातचीत सफल नहीं हुई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बातचीत की आड़ में आतंकवादी समूह कबायली इलाकों के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करने की कोशिश में लग गया था। द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा गतिरोध के लिए अफगान तालिबान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अधिकारी ने कहा कि क्या हमें अपना क्षेत्र इन आतंकवादियों को सौंप देना चाहिए, बिल्कुल नहीं।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की रिमांड पर अदालत में फैसला सुरक्षित

9 मई की हिंसा मामले में शाह महमूद कुरैशी अभी भी नहीं मिली राहत

इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री की रिमांड से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने 30 दिन की रिमांड पर लेने की मांग की थी। गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कुरैशी बीते नौ मई को पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के मामले में सजा काट रहे हैं।

पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप - मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 67 वर्षीय पूर्व विदेश मंत्री के साथ पुलिस अधिकारियों पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। कुरैशी को रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फरवरी में आम चुनाव से पीटीआई ने कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई को 'अवैध' करार दिया है।

एजेंसियों से मांगी गई है रिपोर्ट-कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया कि कुरैशी का मामला, ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली की अदालत में है। अभियोजन पक्ष के वकील अकरम अमीन ने गुरुवार को अदालत से पीटीआई नेता कुरैशी की रिमांड मांगी। उन्होंने कहा, आतंकवाद के मामले में 90 दिनों तक की रिमांड दी जा सकती है। अकरम ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए), पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) और खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट मांगी गई है।

'पूर्व विदेश मंत्री ने कराया पाकिस्तान में संस्थानों पर हमला' - उन्होंने अदालत में वीडियो बयान और कुरैशी के ट्वीट को सबूत के तौर पर पेश किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस साल मई में हिंसा के दौरान कुरैशी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर विरोध की अपील

करते हुए वीडियो शेयर किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, विरोध का आह्वान इस बात का अकाट्य सबूत है कि पाकिस्तान में संस्थानों पर हमला किया गया। उन्होंने कहा, 'हमें देखना होगा कि विरोध के आह्वान के पीछे कौन से तत्व थे।'

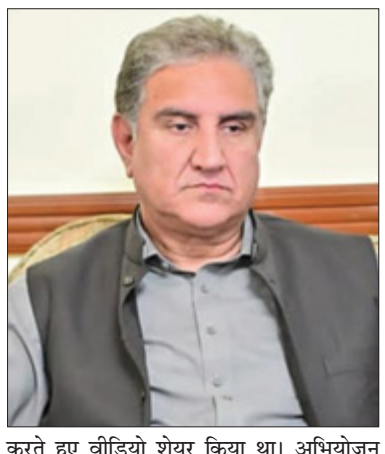

30 दिनों की रिमांड पर फैसला सुरक्षित - कुरैशी की रिमांड की मांग का विरोध करते हुए उनके वकील मलिक इमरान ने कहा, पुलिस जिस वीडियो का जिक्र कर रही है, इससे जुड़ी रिपोर्ट में या पीटीआई नेता के भाषण में ऐसा कोई शब्द नहीं, जिसके आधार पर उनके मुवक्किल के खिलाफ सख्त मामला दर्ज किया जा सके। उन्होंने एफआईआर की प्रति नदारद होने पर भी सवाल खड़े किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने कुरैशी को 30 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

प्रताड़ित करने का आरोप, 9 मई को कराची में होने का दावा - ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने गवाही के दौरान कुरैशी ने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों के दौरान उन्हें 'मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। साथ ही उन्हें कड़ाके की ठंड के मौसम में रखा गया। उन्होंने कहा, वह पवित्र कुरान की कसम खा सकते हैं कि वह 9 मई को रावलपिंडी के बजाय कराची में थे। उन्होंने कहा, 'मैं आगा खान अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ था। पीईएमआरए से रिकॉर्ड सत्यापित कराने की मांग करते हुए कुरैशी ने कहा कि वह 9 मई को कराची में मौजूद थे।

हिंसा के आरोप में कठघरे में इमरान और उनके समर्थक- गौरतलब है कि इस साल 9 मई को हजारों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थकों ने देश भर में हिंसा की थी। कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी से आक्रोशित समर्थकों ने सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। हिंसा के आरोप में इमरान, शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अदालतों में कई मामले चल रहे हैं।